पत्रांक–08/अभियान बसेरा 26–02/2018 455 (9) /रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार ।

फैक्स
ई–मेल

पटना–15, दिनांक– 29-05-18

विषय :– **सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारो को ग्रामीण क्षेत्र में वासभूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि वासभूमि रहित महादलित परिवारो को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009–10 से अभियान प्रारम्भ किया गया, जिसके तहत दो चरणों में सर्वेक्षण कराकर 31 मार्च, 2016 तक कुल–2,40,705 वासरहित महादलित परिवारो को विभिन्न स्रोतों से वासभूमि उपलब्ध करायी गयी। पुनः बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग अनुसची–II के वासभूमि रहित परिवारो को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति उपयोजना (Tribal Sub-Plan) के तहत अनुसूचित जनजाति के वासरहित परिवारो को वास हेतु जमीन उपलब्ध करायी गयी।

2. वासभूमि रहित महादलित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग अनुसची–II के परिवारो को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–267, दिनांक–08.09.2014 द्वारा "अभियान बसेरा" नाम से कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। अभियान बसेरा के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है :–

(i) वैसे वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों, जिन्हें Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 के अन्तर्गत जमीन का पर्चा देय हो, सर्वप्रथम उन परिवारों को इस अभियान के अन्तर्गत पर्चा का वितरण किया जायेगा।

(ii) वैसे परिवार जिन्हें उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वासभूमि का पर्चा देय नहीं हो, उन्हें उपलब्ध सरकारी भूमि यथा– गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि तथा भू–हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बन्दोबस्ती एतद् विषयक पूर्व निर्गत विभागीय परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

(iii) यदि उपरोक्त दोनों माध्यमों से सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो तो, वैसी स्थिति में निर्धारित दर पर रैयती जमीन क्रय कर वैसे परिवारों को आवासित किया जाना अपेक्षित है। अर्थात सरकार की नीति के तहत सर्वप्रथम सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती कर सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी जाय तथा यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो वैसी स्थिति में रैयती जमीन निर्धारित दर पर क्रय कर आवासन हेतु उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय।

(iv) यह महत्वपूर्ण होगा कि जिन परिवारों को गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम अथवा क्रय कर भूमि उपलब्ध करायी जाएगी, वह भूमि वास योग्य भूमि होनी चाहिए अर्थात वहां गडढ़ा, नाला आदि नहीं होना चाहिए। साथ ही बन्दोबस्त भूमि आबादी से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। यह कोशिश होनी चाहिए कि समूह में बसने वाले कई परिवारों के लिए कलस्टर में भूमि उपलब्ध करायी जाय। उक्त भूमि तक पहुँचने के लिए सम्पर्क सड़क होनी चाहिए। यदि सम्पर्क सड़क नहीं हो तो विभाग की सम्पर्क सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

(v) जिन जमीनों को आवंटित किया जायेगा, लाभुकों के समक्ष उनकी नापी कर उसे चिन्हित किया जाय एवं लाभुकों को बन्दोबस्ती का पर्चा अथवा जमीन क्रय से संबंधित दस्तावेज के साथ ही जमीन की जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद के साथ बन्दोबस्ती का पर्चा/क्रय से संबंधित दस्तावेज, उक्त जमीन के नक्शे, (चौहदी सहित) लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) कतिपय मामले परिलक्षित हुए है, जिनमें बन्दोबस्त भूमि का लाभुकों को पर्चा उपलब्ध करा दिया जाता है अर्थात भूमि क्रय कर उसका दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन जमीन पर उनका भौतिक दखल–कब्जा नहीं होता है, जिसके कारण भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः यह आवश्यक होगा कि बन्दोबस्त की जाने वाली भूमि अथवा क्रय की जाने वाली भूमि को चिन्हित करते हुए उस पर लाभुकों का वास्तविक दखल–कब्जा दिलाया जाय एवं वैसी भूमि की जमाबंदी लाभार्थियों के नाम कायम करते हुए उसका लगान रसीद भी उनके नाम से तत्काल निर्गत कर दिया जाय।

(vii) रैयती भूमि क्रय के संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति है कि भूमि का क्रय बसने वाले सक्षम श्रेणी के परिवारों की सहमति से की जाय। इसलिए भूमि चयन के उपरान्त अंचलाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता स्वयं स्थल निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे कि भूमि वास योग्य है, वहां तक पहुँचने के लिए सम्पर्क पथ उपलब्ध है तथा भूमि विवाद रहित है।

3. कतिपय मामलों में लाभार्थियों या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आवंटित भूमि का अंतरण/विक्रय कर दिया जाता है। स्पष्ट है कि यदि उक्त श्रेणी के लाभार्थियों के द्वारा आवंटित भूमि को अंतरित किया जाता है, तो वासभूमि आवंटन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। किसी लाभार्थी के द्वारा आवंटित भूमि का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है एवं वैसी भूमि की उनके नाम से जमाबंदी कायम किया जाना पाया जाता है, तो वैसी जमाबंदी एवं पर्चा को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी एवं भूमि पर सरकार का दखल–कब्जा प्राप्त करते हुए पुनः सुयोग्य श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति को भूमि की बन्दोबस्ती की जाएगी। जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई अपर समाहर्त्ता के स्तर से एवं पर्चा रद्द करने की कार्रवाई समाहर्त्ता के स्तर से की जाएगी।

4. अतः अनुरोध है कि अभियान बसेरा कार्यक्रम के अन्तर्गत वासरहित महादलित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–II के वैसे वासरहित परिवारों को चिन्हित एवं सर्वेक्षित किया जाय, जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों को वास योग्य भूमि सर्वप्रथम यथानुसार गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम/बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाय। जहां इन तीनों साधनों से भूमि उपलब्ध नहीं हो, तो वैसी

स्थिति में रैयती भूमि क्रय नीति के अन्तर्गत भूमि क्रय कर उपलब्ध कराया जाय, ताकि कोई भी सुयोग्य श्रेणी के परिवार वासभूमि रहित नहीं रहें।

5. वासभूमि रहित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने से संबंधित अभियान दिनांक–01.06.2018 से प्रारम्भ किया जाएगा। दिनांक 01.06.2018 से 31.07.2018 की अवधि में वासरहित परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए सर्वेक्षण प्रतिवेदन विभाग को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक–01.08.2018 से वासभूमि रहित सर्वेक्षित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने का कार्य अभियान के तौर पर किया जाएगा। जमीन क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने के संबंध में अलग से विभागीय आदेश निर्गत किया जाएगा, जिसमें अंकित प्रावधानों के आलोक में रैयती जमीन का क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाएगा। तत्काल इस प्रकार के वासभूमि रहित परिवारों यथा–महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 को गैर मजरूआ आम/खास जमीन की बन्दोबस्ती कर एवं वासगीत पर्चा निर्गत कर वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

6. अभियान बसेरा के अन्तर्गत अभी तक कुल–1,14,614 परिवारों को सर्वेक्षण के क्रम में वासरहित पाया गया है, जिसमें महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के परिवार सम्मिलित हैं। उक्त सर्वेक्षित वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के विरूद्ध अभीतक कुल–72,655 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में कुल–41,959 परिवार वासभूमि रहित है, जिन्हें विभिन्न स्रोतों से वासभूमि उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि 1 जून, 2018 से प्रारम्भ किये जाने वाले सर्वेक्षण में पूर्व के सर्वेक्षित एवं अवशेष परिवारों की संख्या का भी समावेश किया जाय, ताकि वासरहित परिवारों की वास्तविक संख्या से संबंधित स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।

7. अभियान बसेरा कार्यक्रम सभी सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की योजना है, जिसके कारण पूर्व से निर्गत सर्वेक्षण एवं वितरण प्रपत्र में आवश्यक संशोधन कर संलग्न किया जा रहा है। अभियान बसेरा के अन्तर्गत नये संलग्न प्रपत्र में सूचनाएं संकलित की जाय।

8. तत्काल अभियान बसेरा से संबंधित सर्वेक्षण प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में 15 जून, 2018, 30 जून, 2018, 15 जुलाई, 2018 एवं 31 जुलाई, 2018 को विभाग को ऑनलाईन रिर्पोटिंग पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके पश्चात् अभियान बसेरा से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र–I एवं प्रपत्र–II में प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 23/5

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 485 (8) /रा0, पटना–15, दिनांक– 29-05-18

प्रतिलिपि :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 23/5

प्रधान सचिव।

प्रपत्र–I

अभियान बसेरा प्रतिवेदन																				
			सर्वेक्षण			वितरण														
						गत माह तक				प्रतिवेदित माह में				अब तक कुल वितरित				समेकित	
		परिवार				भूमि का श्रोत				भूमि का श्रोत				भूमि का श्रोत				कुल	अवशेष
जिला	माह	श्रेणी	गत माह तक	प्रतिवेदित माह में	कुल	गैरमजरुआ मालिक	गैर मजरुआ आम	BPPHT	क्रय निधि	गैरमजरुआ मालिक	गैर मजरुआ आम	BPPHT	क्रय निधि	गैरमजरुआ मालिक	गैर मजरुआ आम	BPPHT	क्रय निधि	वितरित	परिवार
		BC-I																	
		BC-II																	
		SC																	
		ST																	
		महादलित																	

अभियान बसेरा प्रतिवेदन (प्रपत्र–II)

जिला का नाम –

अंचल का नाम –

क्र0	लाभार्थी का नाम एवं कोटि (BC-1/BC-II/ SC/ST)	पिता/ पति का नाम	आधार सं0	मोबाईल सं0	मौजा का नाम/ थाना सं0	आवंटित जमीन का स्रोत				जमीन का विवरण				अभियुक्ति
						गैर मजरूआ आम	गैर मजरूआ खास	वासगीत पर्चा	रैयती जमीन का क्रय	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	चौहद्दी	
1														
2														
3														
4														
5														